न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–68/2017/टोंक (2017/00071)

1. रामकरण पुत्र अम्बालाल,
2. नेहनू लाल पुत्र अम्बालाल,
3. कन्हैयालाल पुत्र अम्बालाल,
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सोनवा, तह0 व जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र अम्बालाल, जाति कुम्हार, नि0 ग्राम सोनवा, तह0 व जिला टोंक ।
2. श्रीमती नुरका पुत्री अम्बालाल पत्नि नाथूलाल, जाति कुम्हार, नि0 सोनवा हाल अरनियालीन, तह0 व जिला टोंक ।
3. बदाम पुत्री अम्बालाल, जाति कुम्हार, नि0 सोनवा, तह0 व जिला टोंक ।
4. कैलाशी पुत्री अम्बालाल पत्नि जगदीश, जाति कुम्हार, नि0 सोनवा हाल निवासी ढाणी कैलाशपुरा, तन मोडियाला, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
5. ग्राम पंचायत सोनवा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सोनवा, तहसील व जिला टोक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 14.6.2017 अंतर्गत अपील संख्या 14/2016.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 19.4.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 मोतीलाल ने ग्राम पंचायत सोनवा द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10. 2016 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पिता अम्बालाल पुत्र हरदेवा कुम्हार की आराजियात खसरा नंबर 750/2 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 756/2 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 2140 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 2533 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2559 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा संपूर्ण एवं खसरा नंबर 2386 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में 1/4 हिस्सा निहित था । ग्राम पंचायत सोनवा ने नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10.2016 तन्हा रूप से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक किया है जबकि स्व0 अम्बालाल के चार पुत्र व तीन पुत्रियां है । पटवारी हल्का द्वारा मोतबिरान के समक्ष जांच कर मौका रिपोर्ट भी दिनांक 29.9.2016 के अनुसार नामांतकरण भरकर हल्का गिरदावर की जांच करवाकर ग्राम पंचायत सोनवा के समक्ष पेश किया । ग्राम पंचायत सोनवा ने अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 6 के नाम हटाकर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम नामांतकरण तस्दीक कर दिया जो विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 स्व0 अम्बालाल के विधिक वारिसान होने के फलस्वरूप अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 का नाम बहिस्सा बराबर आना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 14.6.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सोनवा में नियत कर निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10.2016 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में अपील दर्ज होने पर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये एवं आगामी पेशी दिनांक 2. 12.2016 को स्थगन आदेश जारी कर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 एवं रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत होने तथा प्रतिपक्षी संख्या 4 लगायत 6 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई । पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27.1.2017, 6.3.2017, 28.4.2017 वास्ते जवाब नियत रही । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा गैर कानूनी रूप से दिनांक 14. 6.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सोनवा में नियत कर अपीलांट्स व रेस्पो0 की अनुपस्थिति में गैर कानूनी रूप से अपील स्वीकार कर

नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10.2016 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतकरण तस्दीक करे, जबकि दिनांक 14.6.2017 को ग्राम सोनवा में कैम्प नहीं होकर दिनांक 17.6.2017 को था । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व लोक अदालत शिविर में उपस्थित होने बाबत् अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया एव ंना ही अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व लोक अदालत शिविर में अपीलांट्स उपस्थित हुए । राजस्व लोक अदालत के प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जिसमें प्रकरण के सभी पक्षकारों की पूर्ण सहमति एवं रजामंदी हो अन्यथा सभी पक्षकारों की सहमति नहीं होने पर प्रकरण पुनः न्यायालय में नियत कर प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रक्रिया के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि स्व0 अम्बालाल ने रेस्पो0 संख्या 1 मोतीलाल को उनकी अन्य आराजी दे दी थी इसलिये विवादित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत स्व0 अम्बालाल ने वर्तमान अपीलांट्स के नाम की एवं ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 2966 अपीलांट्स के नाम तस्दीक किया गया है तथा रजिस्टर्ड वसीयत के प्रभाव में रहते तस्दीकशुदा नामांतकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को समझे बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 14.6.2017 अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10.2016 को बहाल फरमाया जावे। xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । स्व0 अम्बालाल ने रेस्पो0 संख्या 1 मोतीलाल को उनकी अन्य आराजी देने के संबंध में कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । प्रश्नगत नामांतकरण 2966 दिनांक 5.10.2016 में पटवारी हल्का ने सभी वारिसान के नाम अंकित किये थे किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कारण के रेस्पो0 का नाम हटा दिया । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी अवगत कराया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 29.9.2016 में अपीलांट्स व रेस्पो0 सभी को मृतक का वारिसान बताया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में रेस्पो0 का नाम भी दर्ज होना चाहिये था किन्तु ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण रेस्पो0 का नाम हटाकर अपीलांट्स के नाम नामांतकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने

नामांतकरण संख्या 2966 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को मृतक के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जो विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण की कार्यवाही में वसीयत को नजरअदांज कर प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामांतकरण की कार्यवाही के निर्देश दिये जो उचित है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का खातेदार मृतक अम्बालाल था जिसके अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 पुत्र एवं पुत्रियां है । अम्बालाल की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत सोनवा के समक्ष नामांतकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत, सोनवा के समक्ष पटवारी हल्का सोनवा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 29.9.2016 पेश की गई जिसमें पटवारी हल्का ने अम्बालाल पुत्र हरदेवा के मोतीलाल, रामकरण, नेहनूलाल, कन्हैयालाल, महावीर पुत्रगण अम्बालाल एवं नुरका, कैलाशी एवं बदाम पुत्रियां अम्बालाल को विधिक वारिसान होना अंकित किया है । उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 को मृतक अम्बालाल का विधिक वारिसान अंकित किये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत, सोनवा ने मृतक अम्बालाल की विरासत का नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10.2016 को केवल मात्र रामकरण, नेहनूलाल एवं कन्हैयालाल पुत्रगण अम्बालाल के नाम तस्दीक तथा रेस्पो0 संख्या 1 मोतीलाल एवं शेष पुत्रियों के नाम नामांतकरण तस्दीक नहीं किया । ग्राम पंचायत ने रेस्पो0 संख्या 1 मोतीलाल एवं शेष पुत्रियों के नाम नामांतकरण तस्दीक नहीं किये जाने संबंधी का अंकन नामांतकरण में नहीं किया है । नामांतकरण के कॉलम नंबर 10 में रेस्पो संख्या 1 मोतीलाल का नाम अंकित है किन्तु कॉलम संख्या 19 में मोतीलाल का नाम अंकित नहीं होना नामांतकरण को त्रुटिपूर्ण होना दर्शाता है । प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अपीलांटस के पक्ष में पंजीकृत वसीयत दिनांक 3.6.2008 के आधार पर प्रश्नगत नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जाकर विरासत के आधार पर किया गया है । अपीलांटस वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 2966 दिनांक 5.10. 2016 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को मृतक खातेदार अम्बालाल के विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 14.6.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 68/2017 (2017/00071) बउनवानी रामकरण बनाम मोतीलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 14/2016 बउनवान मोतीलाल बनाम रामकरण में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 19.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर